भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2884
बुधवार, 18 मार्च, 2026 (27) फाल्गुन 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

किसान क्रेडिट कार्ड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का विस्तार

2884 # श्री तेजवीर सिंहः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री नरहरी अमीनः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
श्री सुभाष बरालाः
श्री राजीब भट्टाचार्जीः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री मस्तान राव यादव बीडाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बनासकांठा और पंचमहल जिलों में प्रारंभ की गई प्रायोगिक परियोजनाओं का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) की सुलभता के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग' अभियान के अंतर्गत अब तक जारी किए गए रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की संख्या का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दुग्ध उत्पादक और अन्य सहकारी समितियों के सदस्यों को समय से और वहनीय ऋण सुनिश्चित करने के लिए रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार, गुजरात से बाहर, देशभर के सभी डीसीसीबी तक, अन्य सहकारी समितियों के सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ङ) प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के माध्यम से देश में समृद्धि प्राप्त करने के लिए दिनांक 21 मई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

(डीसीसीबी) में **'सहकारिता में सहकार'** को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। पायलट परियोजना की सफलता के बाद दिनांक15 जनवरी, 2024 को गुजरात के सभी जिलों में 'सहकारिता में सहकार' पर एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था ।

अभियान के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (पीडीसीएस) और अन्य गैर-ऋण सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम का वितरण शामिल है, ताकि पैक्स, पीडीसीएस और अन्य सभी सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके व्यवसाय करने में सुगमता, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे सामाजिक-आर्थिक पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा सके । अभियान के अंतर्गत, पैक्स, पीडीसीएस और अन्य सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को **रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** भी वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें शून्य या कम ब्याज दर (ब्याज अनुदान) पर रियायती ऋण सुविधा प्रदान की जा सके ।

इसके अलावा, अभियान का एक उद्देश्य पैक्स, पीडीसीएस और अन्य सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के साथ लिंक करना है ताकि उन्हें सहकारी बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 28.02.2026 तक इस अभियान के अंतर्गत गुजरात में सहकारी समितियों के सदस्यों के 33 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए हैं; 10,079 बैंक मित्र नियुक्त किए गए हैं; इन बैंक मित्रों को 10,265 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं; और 6.5 लाख रुपे किसान क्रेडिट कार्ड तथा लगभग 9.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) वितरित किए गए हैं ।

इस अभियान ने किसानों, दुग्ध उत्पादकों, शिल्पकारों और सहकारी समितियों के अन्य सदस्यों, जिनमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, के लिए बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने में सहकारी संस्थाओं की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है । देश भर में इस अभियान की सफलता को दोहराने और सहकारी बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2024 को 'सहकारिता में सहकार' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का शुभारंभ किया गया था।
